प्रेस विज्ञप्ति

20.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/निदेशकों और संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा 'लोटस 300' प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों के खिलाफ 426 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2024 और 18.09.2024 को दिल्ली, नोएडा, मेरठ, चंडीगढ़ और गोवा में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। कंपनी के कार्यालय और आवासीय परिसरों, कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों और संबंधित संस्थाओं अर्थात् एचपीपीएल, मेसर्स क्लाउड 9 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरप्रीत सिंह सूरी, विदुर भारद्वाज, निर्मल सिंह, आदित्य गुप्ता, आशीष गुप्ता, मोहिंदर सिंह सेवानिवृत्त आईएएस (तत्कालीन नोएडा प्राधिकरण के सीईओ) और अन्य पर तलाशी ली गई, जो सभी धन-शोधन के अपराध में शामिल पाए गए हैं।

ईडी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी संख्या 41110/2019 के निर्देशों के आधार पर और ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक/अधिकारियों और अन्य के खिलाफ निवेशकों/घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को विपथित/गबन करने और अंततः उन्हें वादा किए गए फ्लैट प्रदान नहीं करने के आरोप में दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

तलाशी अभियान के दौरान, 85 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी के रूप में कुल 42.56 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण, 29.35 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण, 5.26 करोड़ रुपये मूल्य का एक सोलिटेयर हीरा, 7.1 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे के आभूषण और करोड़ों रुपये मूल्य के बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निवेशकों के धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित विवरण वाले विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज/साक्ष्य (भौतिक/डिजिटल) भी कार्यालय और आवासीय परिसर से बरामद और जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।